

राष्ट्रीय स्तर पर महिला नेतृत्व— एक अवलोकन

सारांश

नेतृत्व करना एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें लोगों पर अपने प्रभाव एवं अपने अनुकरण की परिस्थितियों को एक करके सामूहिक उद्देश्यों तथा लक्ष्यों को हासिल करने के लिए सहयोग प्राप्त किया जाता है। किसी भी संगठन, संस्था अथवा समूह की दशा एवं दिशा तय करने में उसके नेतृत्व की भूमिका ही सर्वाधिक महत्वपूर्ण होती है। जहाँ एक सशक्त एवं प्रभावी नेतृत्व होता है, प्रत्यक्षतः उन्नति प्रदर्शित होती है। एक विकास की आकांक्षा रखने वाले समाज के लिए यह अत्यंत आवश्यक है कि उसके प्रत्येक नागरिक को नेतृत्व की प्रक्रिया में समान रूप से हिस्सेदारी के अवसर प्राप्त हों। समाज अपने नागरिकों में किसी भी आधार पर भेदभाव नहीं करे तभी राष्ट्र के विकास की दशा एवं दिशा को सुनियोजित किया जा सकता है। जब भी सामाजिक नेतृत्व की बात आती है हमारा समाज एक स्वर में महिला नेतृत्व को स्वीकृति प्रदान करने में हिचकिचाने लगता है। वर्तमान परिदृश्य को दृष्टिगत करने पर स्पष्टतया यह तथ्य सामने आता है कि भारत में राष्ट्रीय स्तर महिलाओं ने सर्वोच्च संवैधानिक पदों तक अपनी पहुँच बनाई है, किंतु आज भी राष्ट्रीय स्तर पर महिलाओं का समुचित प्रतिनिधित्व स्थापित नहीं हो पाया है।



विपिन कुमारी

सहायक प्रवक्ता,
राजनीति विज्ञान विभाग,
राजकीय स्नातकोत्तर महिला
महाविद्यालय,
करनाल

मुख्य शब्द : महिला नेतृत्व, प्रतिनिधित्व, लैंगिक अनुपात।

प्रस्तावना

वर्तमान परिदृश्य को दृष्टिगत करने पर स्पष्टतया यह तथ्य सामने आता है कि भारत में राष्ट्रीय स्तर पर महिलाओं ने सर्वोच्च संवैधानिक पदों तक अपनी पहुँच बनाई है, किंतु आज भी राष्ट्रीय स्तर पर महिलाओं का समुचित प्रतिनिधित्व स्थापित नहीं हो पाया है। ऐसे में राष्ट्रीय स्तर पर वर्तमान परिदृश्य में महिला नेतृत्व का अध्ययन करना तर्कसंगत है। राष्ट्रीय स्तर पर अनेक कारक हैं जो महिला नेतृत्व को प्रभावित करते हैं, यथा साक्षरता, महिलाओं का अनुपात, प्रदेशों की आर्थिक एवं सामाजिक स्थिति आदि। प्रस्तुत शोध वर्तमान संदर्भों में राष्ट्रीय स्तर पर महिला नेतृत्व की स्थिति का अवलोकन है।

अध्ययन का उद्देश्य

प्रस्तुत शोधपत्र निम्नलिखित उद्देश्यों की पूर्ति को ध्यान में रखकर किया—

1. चयनित राज्यों में महिलाओं की लैंगिक अनुपात की प्रगति का तुलनात्मक अध्ययन करना।
2. चयनित राज्यों में महिलाओं की साक्षरता की दर की प्रगति का तुलनात्मक अध्ययन करना।
3. लैंगिक अनुपात एवं साक्षरता दर में आए परिवर्तनों का महिला प्रतिनिधित्व पर प्रभाव का अध्ययन करना।
4. राष्ट्रीय स्तर पर महिला नेतृत्व को बढ़ावा देने हेतु सुझाव प्रस्तुत करना।

साहित्यावलोकन

डॉ राजेश्वरी एम सेट्टर(2015) ने अपने शोधपत्र, "ए स्टडी ऑन इश्यू एंड चेलेंजेस ऑफ वूमन इंपावरमेंट इन इंडिया" में भारत में महिला सशक्तिकरण का विश्लेषण किया तथा महिला सशक्तिकरण की चुनौतियों एवं मुद्दों को उभारा है।

अंतुल वारिस एव बी सी वीराकतामठ(2013) ने "जेंडर गेप्स एंड वीमनस इंपावरमेंट इन इंडिया— इश्यूस एंड स्ट्रेटजीस" में चर्चा करते हुए बताया कि राष्ट्र के सामाजिक एवं आर्थिक विकास में लैंगिक समानता एवं महिला सशक्तिकरण अत्यंत महत्वपूर्ण कारक हैं।

एच सुब्रह्मण्यम(2011) ने भारत में महिला शिक्षा का वर्तमान एवं भूतकाल की स्थितियों का तुलनात्मक अध्ययन करते हुए वर्तमान में महिला शिक्षा हेतु किए जा रहे प्रयासों को उल्लेखित किया।

लेरी बीमन, ऐस्थर डुफलो, रोहिनी पांडे एवं पीटीया टोपालोव(2007) द्वारा अपने पत्र में व्याखित किया गया कि न केवल भारत अपितु संपूर्ण विश्व में जनसंख्या के मुकाबले महिला नेतृत्व कम ही है। साथ ही उन्होंने भारत में महिला नेतृत्व की स्थिति को स्पष्ट करने का प्रयास किया।

शोध सीमा

शोधकार्य करते समय शोधार्थी के लिए यह अत्यंत आवश्यक हो जाता है कि वह अपने कार्य की सीमाओं का ज्ञान करे तथा उन्हें इस प्रकार से समायोजित एवं सीमित रखे कि उसका शोधकार्य नियत एवं सम्यक समय पर पूर्णता प्राप्त कर सके। डॉ उमा पाण्डेय के अनुसार, "प्रत्येक शोध-प्रबंध को पूरा करने का समय निश्चित होता है। इसी प्रकार विषय की सीमा भी निश्चित होती है।" प्रस्तुत शोधकार्य में शोधसीमा की सम्यकता को बनाए रखने के लिए भारत के छह राज्यों का अध्ययन हेतु चुनाव किया गया है तथा इन छह राज्यों में आंकड़ों के अध्ययन का आधार दो कारकों साक्षरता दर एवं लैंगिक अनुपात को बनाया गया है।

शोधविधि

किसी भी शोधकार्य के लिए उपयुक्त शोधविधि का चयन करना अत्यंत आवश्यक है, उपयुक्त शोधविधि का चयन करके ही शोधार्थी अपने शोध के यथेष्ट परिणाम प्राप्त कर सकता है। प्रस्तुत शोधपत्र में चूंकि आँकड़ों का अध्ययन करना है, इसलिए विस्तृत रूप से आँकड़ों का अवलोकन एवं विश्लेषण विधि का प्रयोग करके अपने परिणाम प्राप्त किए।

नेतृत्व करना एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें लोगों पर अपने प्रभाव एवं अपने अनुकरण की परिस्थितियों को एक करके सामूहिक उद्देश्यों तथा लक्ष्यों को हासिल करने के लिए सहयोग प्राप्त किया जाता है। किसी भी संगठन, संस्था अथवा समूह की दशा एवं दिशा तय करने में उसके नेतृत्व की भूमिका ही सर्वाधिक महत्वपूर्ण होती है। इसी प्रकार किसी भी राष्ट्र की उन्नति या अवनति भी सीधे-सीधे उसके नेतृत्व की क्षमता को प्रतिबिंबित करती है। जहाँ एक सशक्त एवं प्रभावी नेतृत्व होता है, प्रत्यक्षतः उन्नति प्रदर्शित होती है। एक विकास की आकांक्षा रखने वाले समाज के लिए यह अत्यंत आवश्यक है कि उसके प्रत्येक नागरिक को नेतृत्व की प्रक्रिया में समान रूप से हिस्सेदारी के अवसर प्राप्त हों। समाज अपने नागरिकों में किसी भी आधार पर भेदभाव नहीं करे तभी राष्ट्र के विकास की दशा एवं दिशा को सुनियोजित किया जा सकता है। प्राचीन काल से यह विदित है कि प्रत्येक राष्ट्र हमेशा प्रयासरत रहता है कि उसकी भावी पीढ़ियां नेतृत्व के श्रेष्ठतम गुणों को ग्रहण कर राष्ट्र के उत्थान में समुचित योगदान दे सके। किंतु भारतीय पारिवारिक एवं सामाजिक ढांचे की रचना में कुछ ऐसी जटिलता भी व्याप्त है कि कहीं न कहीं समाज में पुरुषों के समान स्त्री आधिकारिकता कम ही प्रतीत होती है। प्राचीन काल से आधुनिक काल तक स्त्री हर क्षेत्र में पुरुषों की सहगामिनी रही है। स्वतंत्रता संग्राम का अवसर रहा हो या आधुनिक विज्ञान एवं व्यापार प्रत्येक अवसर पर महिला भागीदारी में कोई कमी नहीं आने दी गई है, हर अवसर पर महिलाओं

ने अपने कर्तव्य की पूर्ति पूरी निष्ठा से की है। किंतु जब भी सामाजिक नेतृत्व की बात आती है हमारा समाज एक स्वर में महिला नेतृत्व को स्वीकृति प्रदान करने में हिचकिचाने लगता है। वर्तमान परिदृश्य को दृष्टिगत करने पर स्पष्टतया यह तथ्य सामने आता है कि भारत में राष्ट्रीय स्तर महिलाओं ने सर्वोच्च संवैधानिक पदों तक अपनी पहुँच बनाई है, किंतु आज भी राष्ट्रीय स्तर पर महिलाओं का समुचित प्रतिनिधित्व स्थापित नहीं हो पाया है। ऐसे में राष्ट्रीय स्तर पर वर्तमान परिदृश्य में महिला नेतृत्व का अध्ययन करना तर्कसंगत है। राष्ट्रीय स्तर पर अनेक कारक हैं जो महिला नेतृत्व को प्रभावित करते हैं, यथा साक्षरता, महिलाओं का अनुपात आदि। प्रस्तुत शोध वर्तमान संदर्भों में राष्ट्रीय स्तर पर महिला नेतृत्व की स्थिति का अध्ययन है। इस शोध कार्य में राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली, केरल, असम एवं पूडूचेरी का प्रतिनिधि राज्यों के रूप में अध्ययन करने हेतु चयन किया गया है। राजस्थान जहाँ क्षेत्रफल के आधार पर भारत का प्रतिनिधित्व करता है वहीं केरल साक्षरता एवं लिंगानुपात की दृष्टि से भारत का प्रतिनिधित्व करता है। हरियाणा का चयन इस तथ्य के आधार पर किया गया है कि यहाँ, लिंगानुपात न्यूनतम है। ऐसे में यह देखना कि जहाँ बालिकाओं के जन्म के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण नहीं है वहाँ महिलाओं को नेतृत्व के क्षेत्र में कितनी स्वीकृति मिली है। असम पूर्वोत्तर भारत के सबसे बड़े राज्य के रूप में भारत का प्रतिनिधित्व करता है। केन्द्रशासित राज्य दिल्ली एवं पूडूचेरी का चयन भी शोध के लिए किया गया है। दिल्ली जहाँ जन घनत्व एवं देश की राजधानी के रूप में, वहीं पूडूचेरी सबसे छोटे केन्द्रशासित राज्य के रूप में भारत का प्रतिनिधित्व करते हैं।

सारणी संख्या-एक

भारत के विभिन्न राज्यों में लिंगानुपात की स्थिति

राज्य का नाम	लैंगिक अनुपात-2001	लैंगिक अनुपात-2011
असम	935	954
हरियाणा	861	877
केरल	1058	1084
राजस्थान	921	926
दिल्ली	821	866
पूडूचेरी	1001	1038

Source: <http://updateox.com/india/state-wise-sex-ratio-in-india-in-2011-compared-with-2001-census>

सारणी संख्या एक का अवलोकन करने पर ज्ञात होता है कि भारत में विभिन्न राज्यों के लिंगानुपात की स्थिति में निश्चित रूप से अंतर आया है। सारणी में प्रदर्शित सभी राज्यों में लिंगानुपात की स्थिति में सकारात्मक परिवर्तन परिलक्षित हो रहा है। पूडूचेरी में लैंगिक अनुपात 2001 में 1001 था जो जनगणना 2011 में बढ़कर 1038 तक पहुँच गया। वहीं केरल का लैंगिक अनुपात 2001 में 1058 था जो प्रस्तुत राज्यों के अनुपातों में सबसे अधिक था केरल ने जनगणना-2011 में अपने उच्च स्तर को बनाए रखते हुए सकारात्मक प्रगति की है। जहाँ उसका लैंगिक अनुपात 1058 से बढ़कर 1084 हो

गया। वहीं असम राजस्थान राज्यों में भी यह परिवर्तन सकारात्मक रहा है। असम में 2001 के लैंगिक अनुपात 935 की तुलना में 2011 में यह अनुपात 954 हो गया तथा राजस्थान का लैंगिक अनुपात 2001 के 921 की तुलना में 2011 में 926 हो गया। दोनों केन्द्रशासित राज्यों में भौतिक तौर पर अंतर काफी अधिक है किंतु 2001 एव 2011 जनगणना में दोनों ही राज्यों दिल्ली एवं पूडूचेरी ने सकारात्मक वृद्धि ही दर्शायी है। दिल्ली का लैंगिक अनुपात 2001 के 821 से बढ़कर 2011 में 866 हो गया वहीं पूडूचेरी में यह अनुपात 2001 के 1001 की तुलना में 1038 तक पहुँच गया। हरियाणा में जनगणना-2001 की तुलना में सकारात्मक प्रगति दर्शायी है। जहाँ 2001 की जनगणना में हरियाणा में लिंगानुपात की दर 861 थी वहीं 2011 में यह दर बढ़कर 877 हो गई। इस प्रकार सारणी संख्या एक के आंकड़ों का विश्लेषण करने पर ज्ञात होता है कि महिलाओं की संख्यात्मक वृद्धि सकारात्मक रही है, अर्थात् शोध हेतु चुने गए सभी राज्यों में लैंगिक अनुपात में वृद्धि ही प्रदर्शित हुई है। निश्चित रूप से अनेक कारक रहे होंगे जिनसे ये आंकड़े प्रभावित रहे हैं तथा निश्चित रूप से यह आंकड़े विभिन्न कारकों को प्रभावित भी कर रहे हैं।

सारणी संख्या- दो भारत के विभिन्न राज्यों में साक्षरता एवं महिला साक्षरता की स्थिति

राज्य का नाम	साक्षरता दर	महिला साक्षरता दर
असम	73.18	67.27
हरियाणा	76.64	66.77
केरल	93.91	91.98
राजस्थान	67.06	52.66
दिल्ली	86.34	80.93
पूडूचेरी	86.55	81.22

Source: <http://indiafacts.in/india-census-2011/literacy-rate-india-2011/>

सारणी संख्या दो का अवलोकन करने पर हमें भारत के विभिन्न राज्यों की साक्षरता दर स्पष्ट होती है। इस सारणी में साक्षरता संबंधी प्रदत्त आंकड़ों का विश्लेषण करने पर स्पष्ट होता है कि सारणी में भारत की सर्वोच्च साक्षरता दर से लेकर लगभग न्यूनतम साक्षरता दर प्रदर्शित हो रही है। एक अत्यंत महत्वपूर्ण तथ्य जो स्पष्ट होता है वह है कि इन सभी राज्यों में साक्षरता की दर में सकारात्मक प्रगति परिलक्षित हो रही है। प्रत्येक राज्य में साक्षरता की दर धनात्मक रूप से वृद्धि कर रही है। केरल ने सर्वोच्च साक्षरता दर दर्शायी है जो 93 प्रतिशत से भी अधिक है वहीं दिल्ली एवं पूडूचेरी ने 86 प्रतिशत से अधिक की साक्षरता दर प्रदर्शित की है। असम एवं हरियाणा ऐसे राज्य हैं जिनमें साक्षरता की दर 70 प्रतिशत से अधिक रही है। सभी राज्यों में राजस्थान ही एकमात्र राज्य है जिसकी साक्षरता दर 67 प्रतिशत से अधिक रही है। किंतु फिर भी सकारात्मक बात यह है कि प्रत्येक राज्य ने जनगणना-2001 की तुलना में धनात्मक वृद्धि की है।

सारणी संख्या- तीन

लोकसभा चुनावों में निर्वाचित महिला प्रत्याशियों की स्थिति

लोकसभा चुनाव	कुल महिला प्रत्याशी	निर्वाचित महिला प्रत्याशी	प्रतिशत
2014	668	61	11.23
2009	556	59	10.86

Source: <https://factly.in/women-mps-in-lok-sabha-how-have-the-numbers-changed/>
www.elections.in/political-corner/women-membersof-parliament-in-india

सारणी संख्या-चार

2014 एवं 2009 में लोकसभा के लिए निर्वाचित महिला प्रत्याशी

Source: http://eci.nic.in/eci_main1/ElectionStatistics.a

राज्य का नाम	विजयी महिला प्रत्याशी-2014	विजयी महिला प्रत्याशी-2009
असम	02	02
हरियाणा	00	02
केरल	01	00
राजस्थान	01	03
दिल्ली	01	01
पूडूचेरी	00	00

spX

सारणी संख्या तीन एवं चार के आंकड़ों का अवलोकन करने पर जो तथ्य स्पष्ट होते हैं वे निम्न प्रकार से हैं-

सारणी संख्या तीन में लोकसभा चुनावों में निर्वाचित महिला प्रत्याशियों की स्थिति प्रदर्शित की गई है। इस सारणी के अवलोकन से ज्ञात होता है कि लोकसभा चुनाव 2009 में चुनाव में कुल महिला प्रत्याशियों की संख्या 556 थी, जिनमें से अंतिम रूप से निर्वाचित महिला प्रत्याशियों की कुल संख्या 59 रही जो कि कुल संख्या का 10.86 प्रतिशत था। वहीं लोकसभा चुनाव 2014 में महिला प्रत्याशियों की कुल संख्या 668 थी। जिनमें से कुल 61 महिला प्रत्याशी लोकसभा के लिए निर्वाचित हुईं। यह कुल प्रत्याशी संख्या का 11.23 प्रतिशत है।

सारणी संख्या चार में लोकसभा चुनाव-2014 एवं 2009 में निर्वाचित होने वाली महिला प्रत्याशियों की संख्या प्रतिनिधि राज्यवार प्रस्तुत की गई है। सारणीनुसार असम में लोकसभा चुनाव 2009 में निर्वाचित महिला प्रत्याशियों की संख्या 02 थी, जो 2014 के लोकसभा चुनाव में 02 ही रही। वहीं हरियाणा में 2009 में 02 के मुकाबले यह संख्या घटकर शून्य रह गई। केरल में 2009 में यह संख्या शून्य थी जो 2014 में बढ़कर 01 हो गई। राजस्थान में 2009 की संख्या 03 के मुकाबले यह संख्या 01 तक घट गई। वहीं केन्द्रशासित राज्यों दिल्ली एवं पूडूचेरी में निर्वाचित महिला प्रत्याशियों की संख्या 2009 एवं 2014 में समान ही बनी रही। जहाँ पूडूचेरी में यह संख्या शून्य रही वहीं दिल्ली में यह संख्या 01 ही रही।

विश्लेषण एव परिणाम

उपर्युक्त सारणियों द्वारा प्रदर्शित आंकड़ों का अवलोकन करने पर जो तथ्य प्राप्त होते हैं उनके आधार पर निम्न परिणाम प्रदर्शित होते हैं—

इस शोध पत्र हेतु भारत के जिन छह राज्यों का प्रतिनिधि राज्यों के रूप में चयन किया गया। उन राज्यों की साक्षरता दर एवं लिंगानुपात का अवलोकन किया गया। इनके मध्य अनुमानित संबंध के आधार पर इन राज्यों में महिलाओं की शैक्षिक एवं लैंगिक आनुपातिक स्थिति को स्पष्ट किया गया। इन सारणियों से हमें भारत के विभिन्न प्रतिनिधि राज्यों की लिंगानुपात की स्थिति एवं साक्षरता की स्थिति का एक स्पष्ट दृश्य प्राप्त होता है। जिसके आधार पर हम इन राज्यों में लिंगानुपात के आधार पर महिलाओं की संख्यात्मक स्थिति को समझ पाते हैं। वहीं हमें उस राज्य में पुरुषों एवं महिलाओं की अनुपातिकता के आधार पर महिलाओं की घटती एवं बढ़ती संख्या का पता चलता है, जिससे राज्य में महिला अनुपात के प्रति दृष्टिकोण का एक अनुमान प्राप्त करना आसान हो जाता है।

वहीं महिला साक्षरता की स्थिति को हम सारणी के माध्यम से समझ सकते हैं, सारणी में प्रतिनिधि राज्यों की कुल साक्षरता दर को स्पष्ट करते हुए महिला साक्षरता को प्रदर्शित किया गया है। इस सारणी के आंकड़ों की तुलना प्रथम सारणी से करने पर ज्ञात होता है कि अधिक साक्षरता वाले राज्यों में महिला लिंगानुपात तुलनात्मक रूप से अधिक बेहतर है। केरल राज्य में जहाँ साक्षरता की दर अति उच्च है, वहाँ के लिंगानुपात में महिलाओं की स्थिति भी बाकी राज्यों से कहीं अधिक अच्छी है। केन्द्रशासित राज्य पूडूचेरी में साक्षरता की दर भी उच्च है जिसका सीधा प्रभाव वहाँ के लिंगानुपात में महिलाओं की अच्छी स्थिति पर परिलक्षित होता है। राजस्थान, हरियाणा की साक्षरता दर अन्य प्रतिनिधि राज्यों की तुलना में कम है तो वहाँ महिलाओं की आनुपातिक स्थिति भी अच्छी नहीं है। इस आधार पर एक तथ्य स्पष्ट हो जाता है कि जिन राज्यों की साक्षरता की दर उच्च या अच्छी है उन राज्यों के लिंगानुपात में महिलाओं का अनुपात भी अन्य राज्यों से कहीं अच्छा है। अर्थात् साक्षरता का संबंध उस प्रदेश में महिलाओं के प्रति दृष्टिकोण को सीधे रूप में प्रभावित करता है। साक्षरता की उच्च दर वाले प्रदेशों में महिलाओं की संख्यात्मक स्थिति के प्रति लोगों की जागरूकता स्पष्ट होती है। वहीं निम्न साक्षरता दर वाले राज्यों में महिलाओं की आनुपातिक स्थिति भी अच्छी नहीं है, अर्थात् कम साक्षरता वाले राज्यों में महिलाओं के प्रति दृष्टिकोण अभी उतना विकसित नहीं हुआ है।

तदंतर सारणी संख्या तीन एवं चार के अवलोकन से महिला नेतृत्व में इन कारकों की भूमिका अधिक स्पष्ट हो जाती है। प्रथमतया 2014 एवं 2009 के लोकसभा चुनावों में निर्वाचित महिला प्रत्याशियों की संख्या में कोई विशेष अंतर परिलक्षित नहीं होता है। कहीं न कहीं निर्वाचित महिला प्रत्याशियों की संख्या उसी आंकिक जाल में ही फंसी हुई प्रतीत होती है। जिससे एक तथ्य स्पष्ट होता है कि राष्ट्रीय स्तर पर महिला नेतृत्व की स्थिति में कोई बड़ा या व्यापक सुधार अभी तक नहीं हुआ

है। महिला नेतृत्व के प्रति राष्ट्रीय परिदृश्य अभी उतना परिपक्व नहीं हुआ है कि वह उसे स्वीकृति प्रदान कर सके। वहीं प्रतिनिधि राज्यवार जब निर्वाचित महिला प्रत्याशियों का अध्ययन किया गया तो सामने आया कि ऐसे राज्य जहाँ साक्षरता की दर उच्चतम है वहाँ निर्वाचित महिला प्रत्याशियों की संख्या अत्यंत निराशाजनक है। विशेषतया केरल राज्य के आंकड़ों से स्पष्ट है कि वहाँ महिला शिक्षा के प्रति उच्चस्तरीय सकारात्मक दृष्टिकोण पाया जाता है, वहीं लिंगानुपात में भी केरल भारत के बाकी राज्यों से सर्वश्रेष्ठ है। किंतु नेतृत्व के क्षेत्र में केरल की स्थिति अच्छी नहीं है। केन्द्रशासित राज्य पूडूचेरी में साक्षरता एवं लिंगानुपात की दृष्टि से महिलाओं की स्थिति बहुत अच्छी है, किंतु यहाँ भी महिला नेतृत्व की बात आने पर आश्चर्यजनक रूप से शून्य की स्थिति सामने आती है। इन दोनों ही राज्यों से राजस्थान एवं हरियाणा में महिला नेतृत्व अपेक्षाकृत अधिक सकारात्मक प्रतीत होता है। निश्चित रूप से ये दोनों ही राज्य साक्षरता एवं लिंगानुपात के क्षेत्र में महिला की सुदृढ़ स्थिति का प्रतिनिधित्व नहीं करते हैं, किंतु महिला नेतृत्व के क्षेत्र में इन राज्यों में केरल एवं पूडूचेरी से अधिक सकारात्मकता पायी जाती है।

निष्कर्ष

इस प्रकार स्पष्ट है कि महिला नेतृत्व का संबंध साक्षरता की दर के साथ अधिक सकारात्मक नहीं होता है। यह आवश्यक नहीं है कि साक्षरता की दर में वृद्धि महिला नेतृत्व के प्रति दृष्टिकोण में भी परिवर्तन लाएगी।

लैंगिक अनुपात का संबंध साक्षरता की दर से तो स्पष्ट होता है, इसका संबंध महिला नेतृत्व के साथ नहीं के बराबर ही है। साक्षरता उच्च राज्यों में महिलाओं की संख्या में तो वृद्धि होती है, किंतु नेतृत्व के क्षेत्र में यहाँ भी महिलाएँ दिखाई नहीं देती हैं।

साक्षरता एवं लैंगिक अनुपात से परे ऐसे अन्य कारक हैं जो प्रत्यक्षतः या अप्रत्यक्षतः महिला नेतृत्व को प्रभावित करते हैं। ऐसे कारकों में सबसे प्रमुख कारक है महिला की राजनैतिक पारिवारिक पृष्ठभूमि। निर्वाचित महिला प्रत्याशियों को राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में दृष्टिगत करने पर ज्ञात होता है कि अधिकांश निर्वाचित महिला प्रत्याशियों की राजनैतिक पारिवारिक पृष्ठभूमि रही है। जिसके कारण वे निर्वाचित हो पाई हैं।

ऐसी महिला प्रत्याशी जिनका लंबा राजनैतिक संघर्ष रहा है अथवा जिनका उस क्षेत्र से लंबे समय से जुड़ाव रहा है, भी नेतृत्व के लिए अत्याल्प रूप से स्वीकृति पाती हैं।

जातिगत मतदान एक अन्य महत्वपूर्ण कारक है, जो महिला नेतृत्व के आधार पर अपनी भूमिका का निर्वहन करता है।

सुझाव

1. राष्ट्रीय स्तर पर महिला नेतृत्व के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण स्थापित करने हेतु जागरूकता कार्यक्रमों का आयोजन किया जाए।
2. महिला राजनितिज्ञों द्वारा अपने कार्यों को आमजन तक पहुँचाया जाए।

3. विद्यालय एवं महविद्यालय स्तर पर बालिकाओं में नेतृत्व के प्रति आकांक्षास्तर का निर्माण किया जाए तथा उनको नेतृत्व क्षेत्र में योगदान हेतु प्रेरित किया जाए।
4. विद्यालयों में भारत के इतिहास में महिलाओं के योगदान के बारे में अधिकाधिक जानकारी दी जाए, पाठ्यक्रम में इन्हें विशेष रूप से स्थान दिया जाए।
5. राजनीतिक पार्टियों द्वारा महिलाओं को अधिकाधिक प्रोत्साहित किया जाए तथा उनको अपनी पार्टी में यथोचित नेतृत्व प्रदान किया जाए।
6. ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं को नेतृत्व संबंधी जानकारी एवं उसमें हिस्सेदारी के लिए प्रेरित किया जाए।
7. महिलाओं के लिए वरिष्ठ एवं अनुभवी राजनीतिज्ञों द्वारा कार्यशालाओं का आयोजन किया जाए।
8. समाज में महिलाओं की भागीदारी एवं उनके नेतृत्व की स्वीकृति हेतु सकारात्मक दृष्टिकोण का विकास किया जाना चाहिए।

स्पष्ट है कि भारत आज भले ही 21वीं सदी की राह पर चल रहा है। यहाँ नारी अधिकारों की पुरजोर चर्चा भी होती है, आवाज भी उठाई जाती है किंतु फिर भी वास्तविक परिदृश्य इससे कहीं विपरीत ही है। जिसमें इस 21वीं सदी का आभास नहीं होता है। राष्ट्रीय स्तर पर महिला नेतृत्व के प्रति समाज में आज भी स्वीकृति का भाव परिलक्षित नहीं होता है। राष्ट्रीय नेतृत्व के प्रांगण में

महिला आज भी एकल ही है, जिससे अभी अपने अस्तित्व की गौरव गाथा लिखने के लिए लंबे संघर्ष के रास्ते से गुजरना होगा।

संदर्भ ग्रंथ सूची

1. <http://updateox.com/india/state-wise-sex-ratio-in-india-in-2011-compared-with-2001-census/> date: 26/04/2017, time 4 :35 pm ,
2. <http://indiafacts.in/india-census-2011/literacy-rate-india-2011/> ,date :26/04/2017,time ;5 :03 pm
3. <https://factly.in/women-mps-in-lok-sabha-how-have-the-numbers-changed/> date :26/04/2017, time : 9:10 pm
4. [www.elections .in/political corner/women-membersof-parliament-in-india](http://www.elections.in/political-corner/women-membersof-parliament-in-india), date :26/04/2017, time; 10:57 pm
5. http://eci.nic.in/eci_main1/ElectionStatistics.aspx , date: 26/04/2017, time: 6:30pm
6. www.haryana.gov.in , date :26/04/2017, time : 5 :50 pm
7. <http://www.census2011.co.in>, date :26/04/2017, time ; 5:15pm
8. www.censusindia.gov.in date :26/04/2017,time ; 9:50pm
9. पांडेय उमा, "शोध-प्रस्तुति", प्रथम संस्करण, दिल्ली: नेशनल पब्लिशिंग हाऊस, 1992, पृष्ठ संख्याएँ 10
10. शर्मा डॉ विनयमोहन , "शोध प्रविधि", चौथा संस्करण, नोएडा: मयूर पेपरबैक्स, 2013,